

मा.शि.बो.मान्यता-5 (1) 10000 (2007)

सेवा में

श्रीमान् सचिव महोदय,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
राजस्थान, अजमेर

महोदय,

हमारे विद्यालय को राजकीय आदेशों के तहत माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है बोर्ड से प्राप्त प्रपत्र "क" नियमानुसार दस्तावेजों / सूचनाओं के साथ अस्थायी मान्यता हेतु निवेदन किया जा रहा है -

1. हमारे विद्यालय का दूरभाष सम्पर्क संख्या है।
2. माध्यमिक स्तर का क्रमोन्नति आदेश संलग्न है।
3. अस्थायी मान्यता शुल्क/ विलम्ब शुल्क जमा करने की रसीद /डी.डी की फोटो कॉपी संलग्न है।
4. शिक्षा विभाग/ राज्य सरकार से प्राथमिक से स्तर की मान्यता हेतु जारी अस्थायी अनुज्ञा / अस्थायी मान्यता प्रमाण-पत्र /स्थायी मान्यता-पत्र की प्रति संलग्न है।
5. कक्षा 1 से 05 तक की छात्र/छात्राओं की कक्षावार संख्याओं का विवरण पत्र संलग्न है।
6. कक्षा कक्षों का एवं प्रयोगशालाओं की संख्याएवं माप विवरण संलग्न है।
7. विद्यालय भवन का नवीन निर्माण माप व खेल मैदान का नक्शा (ब्ल्यू प्रिंट) संलग्न है।
8. विद्यालय भवन का नवीन भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र संलग्न है।
9. बोर्ड नियमानुसार /राजकीय नियमानुसार स्थिर राशि / बालिका फाउन्डेशन की जमा राशि की रसीद संलग्न है।
10.
11.
12.

प्रधानाध्यापक/मंत्री/व्यवस्थापक

मय मोहर



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र (क)
गैर राजकीय विद्यालयों के लिये

मान्यता क्रमांक -

माध्यमिक / प्रवेशिका स्तर की अस्थायी मान्यता हेतु आवेदन-पत्र

(यह प्रपत्र 'क' दो प्रतियों में समस्त दस्तावेजों के साथ मय शुल्क के प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार होगा)

सेवा में,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

मैं पद
विद्यालय (नाम मय पता)
.....

की ओर से निम्न विवरण के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर बोर्ड से माध्यमिक / प्रवेशिका स्तर की मान्यता हेतु निवेदन करता हूँ कि-

- (1) विद्यालय कक्षा 8 तक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। प्रमाण-पत्र संलग्न-1 है।
- (2) विद्यालय को राज्य सरकार / शिक्षा विभाग ने क्रमोन्नति आदेश क्रमांक दिनांक के अनुसार कक्षा के लिये क्रमोन्नति आदेश जारी कर दिये हैं। इसकी प्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न-2 है।
- (3) क्रमोन्नति आदेशों के अनुसार विद्यालय में-
तृतीय भाषा है एवं
पढ़ाई का माध्यम है।
- (4) बोर्ड नियमानुसार शुल्क / विलम्ब शुल्क की राशि रुपये D.D. संख्या रसीद संख्या से जमा करा दिया है। संलग्न-3 है।
- (5) विद्यालय माध्यमिक स्तर की मान्यता वर्ष से चाहता है। कक्षा 9 वर्ष से आरम्भ की है।
- (6) नया विद्यालय खोलने का औचित्य एवं उद्देश्य :
.....
.....
.....
- (7) विद्यालय से निकटतम रेल्वे स्टेशन का नाम व दूरी
.....
- (8) विद्यालय से निकटतम बस स्टैंड का नाम व दूरी
.....
- (9) प्रबन्ध समिति 1860 के अधिनियम-21 के अन्तर्गत समिति (सोसायटी) के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अतः संलग्न 3-6 करें-
 1. पंजीयन प्रमाण-पत्र (3)
 2. प्रबन्ध समिति का संविधान (4)
 3. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची (मय विभागीय प्रतिनिधि का नाम) (5)
 4. कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची (6)

(10) भवन का विवरण संलग्न है-

1. भवन के नक्शे का ब्ल्यू प्रिन्ट राज० सहा० अभियन्ता से प्रमाणित संलग्न-7 है।
2. यदि भवन निजी नहीं है तो किरायेनामे की प्रमाणित प्रतिलिपि (किरायानामा लीज डीड) कम से कम 10 वर्षों के लिये होनी चाहिये। संलग्न-8 है।
3. कुल निर्मित कमरों की संख्या, इनका माप एवं उपयोग का विवरण संलग्न-9 है।
4. खेल के मैदान का माप, यदि सुविधा अन्य स्थान पर ली गयी है तो उसका विवरण एवं सुविधा दाता की सहमति का पत्र संलग्न-10 है।
5. विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था है / नहीं है।
6. यदि सह शिक्षा है तो छात्र / छात्राओं के लिये पृथक-पृथक शौचालयों की व्यवस्था है / नहीं है।
7. भवन का नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र कनि० सहा० अभियन्ता से प्रमाणित है। संलग्न-10 है।

(11) कक्षा 1 से 5 का अलग भवन / प्रबन्ध के तहत संचालन का प्रमाण-पत्र संलग्न-11 है।

(12) कक्षा 6 से 10 का कक्षा / सेक्शनवार छात्र संख्या का विवरण संलग्न-12 है।

(13) कक्षा 9 से 10 की कुल छात्र संख्या के बराबर सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है / नहीं है।

(14) छात्र / छात्राओं के लिये स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध है / नहीं है।

(स्थिर राशि / बालिका फाउन्डेशन में बोर्ड / राजकीय नियमानुसार जमा है। फोटो कॉपी संलग्न है।)

(15) विद्यालय को अस्थायी मान्यता प्राप्त होने पर विद्यालय मान्यता अवधि में-

1. विद्यालय के निजी भवन की एवं पर्याप्त कक्षा-कक्षों की व्यवस्था कर लेगा।

हाँ / नहीं

2. प्रस्तावित मान्यता मिलने पर उपयुक्त खेलने के मैदान क्या पर्याप्त होंगे।

खेल के लिये विद्यालय के पास 5 एकड़ भूमि उपलब्ध हो जायेगी।

हाँ / नहीं

3. खेल-कूद के लिये वर्तमान अनुदान-

आवर्ती अनवर्ती

4. प्रस्तावित कक्षाओं के खुलने पर बोर्ड नियमानुसार अनुदान-

आवर्ती अनवर्ती

(16) विद्यालय की आर्थिक स्थिति आवेदन-पत्र भरने से पूर्व के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की आय-व्यय का सम्पूर्ण विवरण सी.ए. से प्रमाणित संलग्न-14 है।

(17) वर्तमान स्थायी कोष का विवरण
किस प्रकार नियोजित है

(18) विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षण शुल्क का विवरण संलग्न-15 है।

(19) विद्यालय में निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्त का प्रावधान है / नहीं है।

(20) वर्तमान शिक्षकों का विवरण निम्न प्रारूप में संलग्न-16 है।

क्रमांक	शिक्षक का नाम पद सहित	शैक्षिक योग्यता	अध्ययन के विषय	श्रेणी

(21) बोर्ड नियमानुसार अति० शिक्षक व अन्य कर्मचारी आदि जिन्हें नियुक्त करना होगा का विवरण :

क्रमांक	विषय जिसके लिये आदेश	पद	बोर्ड नियमानुसार	देय शुल्क

(22) संस्था बोर्ड के नियमानुसार नियुक्तियां करने को तैयार है।

हाँ / नहीं

घोषणा-पत्र

मैं संस्था / विद्यालय

की ओर से अधिकृत होकर निष्ठापूर्वक घोषणा कर सहमति देता हूँ कि मैंने बोर्ड के मान्यता नियमों को पढ़ समझ लिया है और मैं आवेदन-पत्र में दिया गया विवरण पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है तथा अपनी ओर से तथा संस्था की ओर से यह भी सहमति देता हूँ कि यदि विद्यालय को मान्यता दे दी जाती है तो मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के वर्तमान व भविष्य में संशोधित होने वाले नियमों एवं अधिनियमों का पालन करता रहूँगा। बोर्ड यदि विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाता है तो कभी भी परीक्षा केन्द्र बनाने में असहमति देने का मुझे कोई अधिकार नहीं होगा। जितनी छात्र संख्या विद्यालय में दर्शायी गई है उतना सिंगल सीटेड फर्नीचर केन्द्र आवंटित होने पर उपलब्ध कराऊँगा और यदि नहीं करा पाता हूँ तो उसकी व्यवस्था विद्यालय खर्चे पर ही करने की सहमति देता हूँ। इसके साथ ही यह भी सहमति देता हूँ कि यदि बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले छात्रों का प्रवेश विद्यालय की त्रुटि से फर्जी पाता है तो मैं व संस्था इसके लिये जिम्मेदार होंगे और इस कारण से बोर्ड विद्यालय की मान्यता निरस्त कर सकेगा।

प्रधानाध्यापक / मंत्री / व्यवस्थापक
मय मोहर